कार्यालय-जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश- 192 /2025
दिनांक: 24-07-2025

विज्ञप्ति

जजशिप बुलन्दशहर में तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक संवर्ग (वेतनमान रू० 5200-20200 ग्रेड पे रू 2000) के 07 रिक्त पद चतुर्थ श्रेणी समूह "घ" (वेतनमान रू 5200-20200) ग्रेड पे रू 1800) की प्रोन्नति से भरे जाने हैं।

उपरोक्त रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु जजशिप, बुलन्दशहर में कार्यरत् ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी/कर्मचारीगण, जिनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम मैट्रिक्स के समकक्ष हो और उनकी सेवा का पांच वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल व्यतीत हो चुका हो, वे दिनांक 31.07.2025 तक अपने आवेदन-पत्र प्रशासनिक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय श्रेणी संवर्ग में प्रोन्नति किये जाने के लिए इच्छुक कर्मचारियों की लिखित परीक्षा दिनांक 07.08.2025 को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित परिवार न्यायालय भवन के सभागार में सायं 04:00 बजे से 06:00 बजे तक आयोजित की जायेगी, उक्त परीक्षा निम्न प्रकार की होगी-

विषय	पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति	पूर्णांक	टिप्पणी
हिन्दी	यू.पी. बोर्ड के 10 वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर का	50	25 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 अंक, प्रार्थनापत्र-लेखन, 15 अंक हिन्दी निबन्ध

उक्त परीक्षा सिर्फ अर्हकारी प्रकृति (Qualifying nature) की होगी, उक्त परीक्षा में जो आवेदक/ कर्मचारी 50 अंक में से 33 प्रतिशत अर्थात् 17 अंक प्राप्त करेगा, उसे साक्षात्कार के लिये बुलाया जाएगा। Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013 के Schedule-'B' [(See rule 3(3) & 4] के Serial No. 5 के कॉलम 3 (b) के अनुसार साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों का विगत सर्विस रिकार्ड देखकर योग्यता (Suitability) व साक्षात्कार के आधार पर उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। उक्त साक्षात्कार 60 अंको का होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के लिये अर्हकारी रखे गये हैं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार में प्राप्त अंको में नहीं जोड़े जायेंगे।

उक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये, जनपद न्यायालय के सूचना पट पर अविलम्ब चस्पा की जाये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वाट्सएप ग्रुप/वाट्सएप नम्बर पर भी भेजी जाए।

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त विज्ञप्ति का परिचालन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मध्य व्यक्तिगत रूप से भी करायें।

24.7.25
(मंजीत सिंह श्योराण)
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।